महामहिम राज्यपाल
श्री एन.एल. टिबरेवाल का अभिभाषण
8 जनवरी, 1999

माननीय सदस्यगण,

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। यह अति प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में ग्यारहवीं विधान सभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं नव निर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वे राजस्थान के विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही माननीय सदस्यों और राज्य के निवासियों को मैं नये वर्ष की शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

2. गत वर्ष हमने आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया था। पूरे देश में इस अवसर पर सक्रिय जन सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण की अगुवाई की और हमनें विदेशी सत्ता से आजादी प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम में कई ज्ञात व अज्ञात शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। हजारों लोग जेलों में गये। इस अवसर पर मैं ज्ञात एवं अज्ञात सभी शहीदों को आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच हैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ।

3. हाल ही में सम्पन्न विधान सभा के चुनावों में राजस्थान की जनता ने तीन चौथाई से भी अधिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को देकर एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है। नई राज्य सरकार ने जनता से वादा किया है कि वह पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील प्रशासन देने में कामयाब होगी।

4. प्राय: सभी जानते हैं कि प्रदेश के वर्तमान विकास के लिए मूलभूत ढाँचा कांग्रेस शासन के दौरान ही खड़ा किया गया, चाहे सिंचाई के लिए बाँधों के निर्माण हो, चाहे बिजली के लिए विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हो, चाहे औद्योगिक विकास हो, अस्पतालों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, सड़कों अथवा रेल लाईनों का विस्तार हो, यह सब कांग्रेस की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण ही सम्भव हो पाया था। इन मूलभूत सुविधाओं के कारण ही हम गाँवों को शहरों से जोड़ पाये हैं। कृषकों के उत्पादित माल को विक्रय के लिए मण्डी तक लाने में हम सक्षम हो पाये हैं। यही नहीं, विकास की दृष्टि से जहाँ वर्ष 1951 में

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग पाँच हजार मात्र ही थी वहीं कांग्रेस के शासन काल (वर्ष 1951 से 1977 तथा 1980 से 1990) की अवधि में यह संख्या 39,855 तक हो गई। इसी प्रकार इस अवधि में 132 महाविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय, 5 अभियांत्रिकी विद्यालय, 19 पॉलीटेक्नीक विद्यालय तथा 53 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कांग्रेस शासन में खोले गये। साक्षरता का प्रतिशत भी 1951 में 8.95 प्रतिशत था जो कि उक्त अवधि में 38.55 प्रतिशत हुआ है।

5. वर्ष 1951 में अस्पताल एवं डिस्पेन्सरियाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति गृहों, परिवार कल्याण केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहाँ नगण्य थी, वहीं उक्त अवधि के दौरान इनकी संख्या क्रमशः 964, 1059, 113, 384 तथा 7484 हो गई। यह विकास कांग्रेस शासन की नीतियों का ही परिणाम रहा।

6. इसी अवधि में सड़कों की लम्बाई नगण्य से 54,856 कि.मी. तक की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में इस अवधि में राज्य में 6461.69 करोड़ रु. का निवेश कर 30,547 गाँवों को इस अवधि में पेयजल उपलब्ध कराया गया। अकाल राहत पर उक्त अवधि में 1759.40 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

7. राजस्थान पर अकाल की काली और क्रूर छाया कुछ अपवाद वर्षों को छोड़कर लगातार पड़ती रही है जो राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती रही है। कांग्रेस सरकारों ने इस प्राकृतिक विपदा का मुकाबला पूरी दृढ़ता, सूझबूझ और दक्षता से किया तथा कांग्रेस की राज्य सरकार ने अपने शासनकाल में अकाल से निबटने के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर अकाल से ग्रसित लोगों को रोजगार प्रदान किया, बहुमूल्य पशुधन को विभिन्न प्रदेशों से चारा मंगवाकर बचाया, अकालग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की, वृद्धों तथा अपाहिजों को आर्थिक सहायता दी तथा अकालराहत कार्यों के जरिये स्थाई महत्त्व के कार्यों को तरजीह दी और इसी का नतीजा है कि आज पंचायतघर, पटवारघर, विद्यालय भवन, औषधालय भवन, सामूहिक मनोरंजन केन्द्र, पानी के टांके, खेतों पर खड़ीन, एनीकट, सड़कें तथा सामुदायिक उपयोग के पक्के कार्य गाँवों में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने बिना किसी भेदभाव के अकाल पीड़ितों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी।

8. पिछली सरकार के आठ वर्षों के कुशासन में राज्य की कानून व्यवस्था एक-दम चौपट हो गई। इस दौरान हत्याएँ, महिलाओं के साथ बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण, चोरी, डकैती, पुलिस हिरासत में मौतें एवं लूट की घटनाएँ आम बात हो गई थीं। दलितों एवं समाज के कमजोर तबकों पर अत्याचार की घटनाओं में भी निरन्तर वृद्धि होती रही और पूर्व सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे इन वर्गों के लोगों के आत्म-सम्मान को भारी ठेस पहुँची। पूर्व सरकार के शासन काल में हुए विभिन्न साम्प्रदायिक दंगों एवं गोलीकाण्ड की घटनाओं से समूचे अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई।

9. प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया गया तथा ग्रामीण विकास एकदम ठप्प हो गया। पंचायत राज के निर्वाचित सदस्यों को सरकार की ओर से कोई अधिकार नहीं दिये गये। हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी और विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।

10. पूर्व सरकार ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, बिजली-पानी की आपूर्ति एवं सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बावजूद प्रदेश में विद्युत की किसी परियोजना को प्रारम्भ नहीं किया, कृषि कार्यों के लिए नर्सरी योजना शुरू करके प्रदेश के गरीब किसानों को लूटा। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान के समय सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की। प्रदेश में महंगाई बढ़ती रही लेकिन सरकार ने महंगाई को रोकने हेतु कोई कदम नहीं उठाये। शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं में भारी गिरावट आई है। इतना ही नहीं पिछले आठ वर्षों में राज्य की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई और सन् 1989-90 के 6026 करोड़ के मुकाबले 1998-99 में राज्य की देनदारियाँ बढ़कर 23 हजार करोड़ रु. तक पहुँच गई और सरकार ने बिना तर्क के मात्र धनाभाव के कारण सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दिया, जिससे प्रदेश के युवा वर्ग में निराशा की भावना व्याप्त हुई।

11. कांग्रेस ने जिस प्रकार की गंभीर वित्तीय स्थिति, चरमराये व बिगड़े प्रशासनिक ढाँचे के साथ शासन संभाला है वह नई सरकार के समक्ष एक प्रकार से राज्य के विकास की गति को तेज करने में एवं संवेदनशील प्रशासन देने की एक बहुत बड़ी चुनौती है।

12. राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार ने श्वेत-पत्र प्रकाशित कर वास्तविक स्थिति जनता के समक्ष रखने का निर्णय लिया है और सरकार आम जनता को विश्वास में लेकर प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करेगी।

13. शासन ने राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने तथा राज-काज में सादगी अपनाने का निर्णय लिया है। इस हेतु सभी विभागों/उपक्रमों एवं संस्थाओं को विस्तृत निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही यह भी आवश्यक हो गया है कि वर्तमान राजकीय व्यय की समीक्षा की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति राजकीय विभागों/योजनाओं/उपक्रमों एवं संस्थाओं की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता हेतु परीक्षण करेगी। तत्पश्चात् शासन आवश्यक निर्णय लेगा। साथ ही विनियोजन को बढ़ावा देने हेतु पंचायत राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों का सक्रिय योगदान प्राप्त करने हेतु 'अल्प बचत सहभागिता योजना' लागू की जा रही है। इनके अच्छे परिणाम आने की संभावनाएं हैं।

14. राज्य की कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व रहेगा। सार्वजनिक पूजा स्थल, देवस्थान, वक्फ एवं कब्रिस्तान तथा श्मशान गृहों आदि की सम्पत्तियों के विषय में प्राय: देखा गया है कि यह सम्पत्तियाँ विवाद का विषय बन कर कानून एवं व्यवस्था

का प्रश्न बन जाती हैं। अत: इनके संरक्षण एवं विवादों को निपटाने के लिए सार्थक कदम उठाये जायेंगे।

15. सरकार ने कार्य सम्भालते ही पूरी गंभीरता के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है तथा राज्य सरकार ने मानवाधिकार आयोग एवं महिला आयोग के गठन का भी निर्णय ले लिया है।

16. प्रदेश के छात्र, युवा वर्ग में व्याप्त निराशा के भाव को समाप्त करने तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार उठाकर भी सेवानिवृत्ति आयु की अधिकतम सीमा को पुन: 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

17. जनहित में राज्य सरकार ने किसानों की विद्युत समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए विद्युत उत्पादन एवं उपभोक्ताओं को - विशेषत: कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। राजस्थान में रबी मौसम में विद्युत की अधिकतम मांग होती है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। रबी के मौसम में किसानों की सुविधा के लिए 8 घण्टे बिजली प्रदान करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जिससे 1.00 करोड़ रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त खर्चा आएगा। विद्युतिकृत ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के घरों में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 6000 घरेलू कनेक्शन प्रदान किये जाने थे। अब इसको बढ़ा कर 10,000 कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कृषकों को कनेक्शन देने की नर्सरी योजना को समाप्त कर दिया है और 1 अप्रेल, 1999 से कृषि कार्यों के लिए बिजली कनेक्शन हेतु नई नीति बनाएगी।

18. संविधान में उल्लिखत लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को मूल रूप देने हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया। पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने और देश के ग्रामीण विकास में महिलाओं एवं समाज के कमजोर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वर्गीय राजीव गाँधी ने पहल की जिसके फलस्वरूप भारत के संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया। महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में एवं नगरपालिकाओं में आरक्षण मिला।

19. प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तियाँ एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक ढाँचे में फेरबदल लाया जा रहा है। इस

क्रम में जहाँ राज्य स्तर पर विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एकीकृत कर दिया गया है, वहीं जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए. का पूरा प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तथा डी.आर.डी,ए. के मार्फत कराई जाने वाली कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है।

20. कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए राज्य सरकार ने कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने का निश्चय किया है। गत वर्षों में राज्य में किसानों को डी.ए.पी. खाद, प्रमाणित व उन्नत बीजों की उपलब्धता आवश्यकतानुसार न होने की समस्या का सामना करना पड़ा था। राज्य में नई कृषि नीति बनाई जायेगी ताकि किसानों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सके व कृषि के क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके। जिलों में उत्पादन के आधार पर कृषि आधारित औद्योगिक एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किया जाना, उसके भण्डारण की व्यवस्था करना तथा उत्पादित वस्तुओं के संरक्षण, ग्रेडिंग, पैकिंग एवं विपणन (घरेलू एवं बाहरी) की समुचित व्यवस्था किया जाना इस कृषि नीति का एक अंग होगा। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्लेज लोन की नीति को क्रियान्वित करने के भी प्रयास किये जायेंगे।

21. राज्य से सब्जी, फलों, फूलों एवं मसालों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण करके कृषि उपज को मण्डियों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। सांगानेर के पास एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी का टर्मिनल मार्केट स्थापित करने का कार्य किया जायेगा। कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

22. राज्य के समग्र विकास में बिजली का विशेष महत्त्व है, जिसे देखते हुए बिजली उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। सरकार लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने का प्रयास कर रही है एवं विद्युत उत्पादन हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, दोनों को बढ़ावा देगी। सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई को लगाने का काम भी द्रुतगति से प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इसके वर्ष 2000 की प्रथम छमाही में प्रारम्भ होने की संभावना है।

23. 35.5 मेगावाट के रामगढ़ गैस आधारित विद्युत गृह के लिए राज्य सरकार ने उचित केलोरिफिक वेल्यू व समुचित गैस आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त गैस से वर्तमान बिजलीघर में 71.0 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। अन्ता बिजलीघर की वर्तमान क्षमता 419 मेगावाट है। इसके द्वितीय चरण में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा 650 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है। इसमें लगभग चार वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है। इसमें से लगभग

20 प्रतिशत राजस्थान राज्य का हिस्सा होगा। राजस्थान आणविक विद्युत गृह, रावतभाटा की तीसरी व चौथी इकाई (कुल 440 मेगावाट) क्रमशः जुलाई व दिसम्बर, 1999 में प्रारम्भ होने की संभावना है। इस पूरी क्षमता को राजस्थान को आवंटित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जा चुका है।

24. पूर्व में दो निजी परियोजनाओं, 702 मेगावाट के धौलपुर में नेप्था आधारित विद्युत गृह एवं 500 मेगावाट बरसिंगसर लिग्नाईट ताप विद्युत गृह परियोजना (लिग्नाईट खनन सहित) को स्वीकृति मिल गई थी। इसके अतिरिक्त कई निजी परियोजनाओं से भी विद्युत क्रय अनुबन्ध हो गये थे। परन्तु इन परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई। उनकी स्थापना में आ रही बाधाओं को दूर करने पर एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति विचार कर रही है, जिससे इन निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति एवं स्थापना में प्रगति हो सकेगी।

25. राज्य के जैसलमेर जिले (पश्चिमी भाग) में पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र व्यावसायिक तौर पर स्थापित करने हेतु प्रथम चरण में जैसलमेर जिले में 2 मेगावाट क्षमता का एक विण्ड फार्म प्रदर्शन हेतु स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

26. राज्य सरकार मथानिया में 140 मेगावाट इंटीग्रेटेड सौर कम्बाइन्ड साइकिल का ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है।

27. राज्य में निरन्तर प्रयास के बावजूद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। बीसलपुर मानसीवाकल, गांधेली, साहवा, गजसिंहपुरा योजनाओं को गति दी जावेगी। राज्य को केन्द्र सरकार से 104.01 करोड़ की विशेष सहायता इस वर्ष प्राप्त हो रही है, जिसके अन्तर्गत जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर की जल व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किये जा रहे हैं। इसी सहायता के अन्तर्गत जासावा, बिठुजा व जोधपुर में गन्दे पानी के शुद्धीकरण हेतु जल प्रदूषण निवारण मण्डल के माध्यम से कार्य किया जायेगा।

28. समूचे प्रदेश में आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या समाधान हेतु आवश्यक कार्य किये जायेंगे जिससे वर्षा कम होने की स्थिति में भी जल वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से रखी जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल के गिरते स्तर से उत्पन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुओं को गहरा कराया जायेगा, हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराई जायेगी तथा हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु तत्परता से कार्य किया जायेगा।

29. अत्यधिक फ्लोराईड एवं खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की ओर विशेष ध्यान देते हुए पेयजल योजनाएँ बनाकर क्रियान्वित की जायेंगी। नागौर जिले के बांकी पट्टी क्षेत्र व जालोर जिले के नेहड़ क्षेत्र हेतु विशेष योजनाएँ बनाकर इनकी समस्या के समाधान हेतु प्रयत्न किए जायेंगे।

30. वर्ष 1999-2000 के दौरान 6000 बस्तियों को पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि योजनाओं के अन्तिम छोर के ग्रामों को समुचित मात्रा में पेयजल सुलभ हो सके।

31. जहाँ कृषि के विस्तार एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया गया वहीं जल स्तर में तेज गति से हो रही गिरावट चिंताजनक है। अतः भू-जल के पुनर्भरण हेतु नई तकनीक का विकास किया जायेगा। राजस्थान के मरूभाग में प्राचीन तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं आदि जल स्रोतों को पुनः निर्मित किया जायेगा, जल क्षमता में वृद्धि की जायेगी एवं उस जल को सुरक्षित एवं स्वच्छ रखने की नीति निर्धारित की जायेगी।

32. राज्य में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या चिन्ता का विषय है। जनसंख्या का बढ़ना, किये जा रहे विकास को नगण्य कर देता है। परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में अभी तक रही उदासीनता को दूर करते हुए सरकार जन सहयोग से इस सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगी। जनसंख्या स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिले के लिए, व्यापक सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवाओं की आवश्यकता का आंकलन करवाया जाकर कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं तथा उनके अनुरूप ही कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा उनकी समीक्षा हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

33. राज्य सरकार बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बुनियादी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करानें के पूरे प्रयास किये जायेंगे। वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का आंकलन करते हुए जिन क्षेत्रों में कमी है, उनमें योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

34. राज्य में गत वर्षों में मलेरिया, पीलिया एवं अन्य बीमारियों का प्रकोप रहा है। राज्य सरकार इनके नियंत्रण हेतु कारगर कदम उठायेगी।

35. राज्य के औद्योगिक प्रशासन और विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं जैसे रीको, राजस्थान वित्त निगम, हथकरघा एवं लघु उद्योग निगम, बुनकर संघ तथा विशिष्ट प्रकृति के संस्थानों, जैसे औद्योगिक संवर्द्धन ब्यूरो, शिल्प संस्थान, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी आदि के वर्तमान कार्य संपादन और प्रक्रियात्मक प्रणाली की पुनरीक्षा की गई है और उसे अधिक चुस्त, तत्पर तथा उद्योगों की सहायता के लिए उन्मुख करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार कुटीर उद्योग, दस्तकारी, हस्तशिल्प और हाथ करघा जैसे अल्प पूंजी से ही विस्तृत रोजगार सृजित करने की सम्भावनाओं वाले इन क्षेत्रों को पल्लवित और प्रोत्साहित करेगी।

36. भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपने नये साझेदारी सम्मेलन हेतु राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना है। इसमें देश-विदेश के लगभग 700 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य में खनिज सम्पदा, प्राकृतिक संसाधन एवं सौम्य वातावरण अपने-आप में औद्योगीकरण हेतु आकर्षक रहा है। देश के इस सम्मेलन से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बन सकेगा एवं आशा की जाती है कि इससे प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ेगा।

37. राज्य की रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास, ऊर्जा क्षेत्र में अधिक निवेश से उद्योगों को प्राणदायी बिजली सुनिश्चित करना, पूर्णत: प्रदूषण-मुक्त औद्योगिक विस्तार, श्रमिक कल्याण, विशेष मंदी के शिकार उद्योगों जैसे सीमेण्ट आदि की समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही, भू-अर्जन की वर्तमान स्थिति का पुनरावलोकन तथा आधारभूत ढाँचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास के लिए राज्य सरकार न केवल अपने घोषणा पत्र से ही प्रतिबद्ध है, बल्कि इस दिशा में पूरी इच्छाशक्ति से क्रियाशील भी हुई है।

38. शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। 200 तक की आबादी वाली सभी बस्तियों एवं अनुसूचित जन-जाति और रेगिस्तानी क्षेत्र में 150 की आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम एक उच्च प्राथमिक शाला की सुविधा भी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

39. शिक्षा के स्तर में सुधार करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता व गोपनीयता पुन: कायम करना तथा विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं।

40. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए इस दिशा में और अधिक कारगर प्रयास किये जायेंगे। प्राथमिक शिक्षा, जो विभिन्न कार्यक्रमों, लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी आदि के माध्यम से चल रही है, उनकी समीक्षा कर समन्वित कार्यक्रम बनाया जायेगा।

41. गत वर्षों में उच्च शिक्षा की धूमिल होती छवि व गिरती गुणात्मकता के सुधार हेतु शैक्षणिक सत्र सारिणी का निर्धारण कर उसे कड़ाई से लागू करने के प्रयास पूरी इच्छा शक्ति से किये जायेंगे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के शीघ्र प्रयास किये जायेंगे। साथ ही गत वर्षों में विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं पर लगे प्रश्नचिन्ह को ध्यान में रखकर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पुन:स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। अनुदानित संस्थाओं को समय पर अनुदान के अभाव में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु समय पर अनुदान जारी करने के प्रयास किये जायेंगे।

42. संस्कृत वाङ्मय ने सदियों से भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, जीवन-दर्शन एवं जीवन शैली तथा ज्ञान-विज्ञान के व्यापक एवं गहन अनुभूत तत्त्वों एवं तथ्यों को, संस्कृत विद्वानों एवं ऋषियों के लिखित आलेखों एवं जीवन पद्धति के माध्यम से, संजोकर रखा है। संस्कृत भाषा में हमारी इस अथाह एवं अमूल्य धरोहर को प्रकाश में लाने तथा मानव समाज एवं राष्ट्रहित में इसे प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से ही संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रचार-प्रसार का कार्य राजस्थान में प्रारम्भ किया गया है। संस्कृत शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ किया जायेगा।

43. तकनीकि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार, क्षमता वृद्धि, गुणात्मक सुधार एवं दक्षता के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जायेंगे। इन्जिनीयरिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमितीकरण के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। पॉलीटेक्नीक संस्थानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में संस्थान - उद्योग समन्वय तथा पाठ्यक्रम विकास के प्रयासों से डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास किये जायेंगे। चर्म उद्योग से सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम इस वर्ष जयपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भ किया जायेगा।

44. सरकार सूचना के अधिकार की पक्षधर है। विकास सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जनता को सूचना का अधिकार देने हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी।

45. सरकार का प्रयास है कि अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाय तथा इसी क्रम में भारत सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं आर.आई.डी.एफ. के तहत नाबार्ड से ऋण की व्यवस्था की जा रही है। कई वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजना तथा पाँचना, सावन भादो, परवन जलोत्थान आदि योजनाओं को गति दी जायेगी।

46. प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं से उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से 1800 करोड़ रुपये की राजस्थान जल संघनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत लगभग 7.50 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में जल वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था काश्तकारों को सौंपने का प्रावधान है। 1198 लघु सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य स्वीडिश अन्त:र्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के माध्यम से किया जाना भी विचाराधीन है।

47. सिद्धमुख नोहर परियोजना का कार्य यूरोपियन आर्थिक समुदाय की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है तथा इस परियोजना की सिद्धमुख वितरिका का कार्य नाबार्ड की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है।

48. वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं की डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास तथा पुन:स्थापन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात् अन्तिम रूप दिये जाने का प्रयास किया जायेगा।

49. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के महत्त्व को देखते हुए खालों का निर्माण कर कृषि योग्य क्षेत्र तैयार किया जायेगा तथा भूमि आवंटन कार्य में तेजी लाई जायेगी, जिससे सिंचाई के साधनों का उपयोग हो सके। सेम की समस्या के निराकरण के लिए एक बहुआयामी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा।

50. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सहवा (चूरू), गजनेर, पोकरण एवं फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को गति प्रदान की जायेगी।

51. राज्य के विकास में सड़कों की अहम भूमिका है। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि

राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जाये इसके लिए राज्य सरकार सड़कों के निर्माण में निजी निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। निवेशकों द्वारा 'निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण' आधार पर परियोजनाएँ बनाई जायेंगी। पिछले वर्षों से सड़कों का रखरखाव नहीं हो रहा है जिससे सड़कों की हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिलेवार सड़कों का सर्वेक्षण कर सड़कों के रख-रखाव का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जायेगा। विपणन बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जायेगा।

52. 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 की आबादी के गाँवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। पंचायत मुख्यालयों के गाँवों को सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जायेगी।

53. राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 के जयपुर से कोटपूतली तक फोरलेनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कोटपूतली से आगे हरियाणा सीमा तक का कार्य भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। फरवरी, 1998 में फतेहपुर-अम्बाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 घोषित किया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 65 को फतेहपुर-नागौर-जोधपुर-पाली तक बढ़ाने, सिंरोही-पिंडवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-बाराँ-शिवपुरी व अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-नीमच -इन्दौर को नवीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किये जाने के लिए भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है।

54. समाज में सदियों से व्याप्त सामाजिक विषमताओं से ग्रसित कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु वर्तमान सरकार कृतसंकल्प है। एक ओर जहाँ अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर एवं अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक विकास एवं सामाजिक उत्थान व सुरक्षा के कार्यक्रमों को गति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाल कल्याण, महिला कल्याण, विकलांग कल्याण, वृद्ध व अशक्त कल्याण, परिवीक्षा सेवा एवं नशामुक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक राशि व्यय कर विभिन्न कार्यक्रमों में आशातीत प्रगति लाने का प्रयास किए जा रहे हैं।

55. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम यद्यपि कमजोर वर्गों के परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रयासरत है, तथापि अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कमजोर परिवारों को सम्बन्धित राष्ट्रीय वित्त निगमों से ऋण दिलवाकर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु सघन अभियान चलाया जायेगा। रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाये जाने हेतु इन्हें विभिन्न संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

56. इस वर्ष की शेष अवधि एवं आगामी वर्षों की विभिन्न कार्य-योजनाओं से अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी लाभान्वित किये जाने का निश्चय किया गया है। अनुसूचित जाति के जनसंख्या के अनुपात में राज्य योजना मद से प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु समस्त विकासीय विभागों में अलग से बजट उप-शीर्ष खुलवाया जा रहा है तथा उक्त राशि के उचित उपयोग

सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित रूप से उच्च स्तर पर समीक्षा की जायेगी। इस प्रकार से राज्य सरकार पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान हेतु पूर्ण संवेदनशील रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को माकूल अन्जाम देने का सकल प्रयास करने को कृतसंकल्प है।

57. अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की नीति में आ रही कठिनाईयों को समाप्त किया जायेगा तथा आरक्षित पदों को चाहे वे सीधी भर्ती के हों या पदोन्नति के, उन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा पूर्व में स्थगित कोटे को भी तत्परता से भरने की कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार आदिवासी कल्याण विभाग की स्थापना के लिए कटिबद्ध है, जिसका कार्य मानवीय संसाधनों का विकास करना होगा। माडा क्षेत्र के बाहर रह रहे आदिवासियों के लिए भी यह सभी सुविधाएँ, जो उन्हें देय हैं, सुनिश्चित की जायेंगी।

58. अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बोर्ड का गठन किया जायेगा।

59. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन जल्द ही कर दिया जायेगा।

60. टाडा के सभी मामलों का तीन माह में पुनरावलोकन कर पुख्ता सबूतों के अभाव वाले प्रकरणों को समाप्त कर दिया जायेगा।

61. राज्य में वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जाँच की जायेगी तथा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन भी जल्द ही कर दिया जायेगा।

62. इन्दिरा गाँधी द्वारा घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रम को सही ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा।

63. उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी।

64. बेरोजगारी कम करने के प्रयासों के बावजूद पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा वर्ष 1998 अक्टूबर तक रोजगार कार्यालय के माध्यम से 1,37,971 आशार्थियों का पंजीयन किया गया है तथा पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग 8.99 लाख है। विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप कुछ विशेष उद्योगों में रुग्णता बढ़ने की संभावना है तथा बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। अत: इस क्षेत्र में कार्यरत राजकीय, गैर राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय इकाइयों में प्रभावी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक आशार्थियों को स्व-रोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे तथा किये जायेंगे तथा किये गये प्रयत्नों की मॉनीटरिंग हेतु विशेष प्रबन्ध की व्यवस्था होगी।

65. बाल श्रमिकों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। समाज में अपेक्षित सुविधाएँ एवं संविधान में दिये गये अधिकार सुरक्षित कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है।

बाल श्रमिकों के शोषण को रोका जायेगा। उन्हें शिक्षा के अवसर देने, उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा उनके स्वास्थ्य हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी। बाल श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी।

66. महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य में महिला आयोग का गठन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण किया जायेगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाकर इसे सभी स्तरों पर निःशुल्क किया जाना, परित्यक्ता अथवा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए योजना बनाना, कुटीर उद्योग लगाने के लिए महिलाओं को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा विधवा, अपंग, वृद्धों और निराश्रितों के लिए पेंशन की व्यवस्था तथा पेन्शन नियमों का सरलीकरण किया जाना सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर में वृद्धि के उपरान्त भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है एवं महिला उत्पीड़न एवं शोषण के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है। ऐसी शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, उन्हें आवश्यक सहायता एवं मार्ग दर्शन प्रदान करने एवं शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जिलों में एक जिला स्तरीय सहायता समिति की स्थापना की गई है। इन समितियों को गतिशील बनाया जायेगा।

67. सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए चिन्तित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानें खोलकर जनता को आवश्यक उपभोग की वस्तुएं वाजिब मूल्यों पर उपलब्ध करायी जायेंगी। राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में ऐसे व्यापारियों के यहाँ विशेष तौर से छापे मारे गये, जहाँ स्टाक से अधिक वस्तुओं का संग्रह होने की संभावना थी। इस कार्यवाही के द्वारा करोड़ों रुपये मूल्य का अनाज, दालें, चीनी आदि वस्तुएं जब्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही से कीमतों में कमी आई है।

68. गुणवत्ता मापदण्डों का सख्ती से पालन कराया जायेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून में सुधार तथा उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जायेंगे। उपभोक्ताओं को नाप-तौल में कम वस्तुएं देने के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

69. राज्य सरकार जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में पूर्ण विश्वास रखती है। सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचित संचालक मण्डल को सौंपना चाहती है। इस हेतु वर्षों बाद शीघ्र ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। अन्य सहकारी संस्थाओं, जैसे अपेक्स बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, विपणन समितियों आदि के चुनाव भी शीघ्र कराने की कार्यवाही की जा रही है।

70. राज्य में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा। लोगों में सहकारिता को बढ़ाने के लिए नये कार्य क्षेत्र खोले जायेंगे। सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए नये कार्य क्षेत्र खोले जायेंगे। सहकारी आन्दोलन को वृहद् रूप देने के लिए सहकारिता कानूनों, नियमों, उपनियमों में आवश्यक फेरबदल किया जायेगा। अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाये जायेंगे। प्रदेश में दुग्ध-उत्पादक सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जायेगा और दुग्ध उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

71. एशियन डेवलपमेण्ट बैंक, आवासन एवं नगरीय विकास निगम और अन्य बैंकों से नगरों के सौन्दर्यीकरण, पेयजल, सीवरेज और जन-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे। आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए और अधिक मकान बनाए जायेंगे। नगर निगम कानून के अव्यावहारिक धाराओं को परिवर्तन कर व्यावहारिक किया जायेगा। नगर निकायों की आर्थिक सुधार के प्रयास किये जायेंगे। नगरों के नियोजन को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया जायेगा तथा नगरों में बढ़ती आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिये नई आवास नीति बनायी जायेगी। साथ ही शहरी विकास एवं आवासन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशन को सुविचारित नीति के अनुरूप प्रोत्साहित किया जायेगा।

72. कच्ची बस्तियों के नियमन के बारे में त्वरित गति से निर्णय लिये जाकर उनको नियमित किया जायेगा एवं कच्ची बस्तियों में आधारभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी।

73. भविष्य में प्रदेश में नई कच्ची बस्तियों के निर्माण को रोकने हेतु ठोस नीति बनाई जायेगी, जिससे स्वायत्तशाषी संस्थाएँ पहल कर समाज के कमजोर तबकों को योजनाबद्ध तरीके से बसा सकें, इस प्रकार ऐसे लोगों को जीवनपर्यन्त नारकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके।

74. पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए एक दीर्घकालीन पर्यटन नीति बनायी जायेगी तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेशन को प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में सहभागी बनाया जायेगा। हवाई पट्टियों एवं हैलीपैड्स इत्यादि को भी सुविचारित नीति के अन्तर्गत पर्यटन विकास में उपयोग हेतु निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

75. राजस्थान की विपुल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु स्थायी नीति बनायी जायेगी एवं समयबद्ध कार्यक्रम के तहत इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखने हेतु समयबद्ध एवं समन्वित प्रयास किये जायेंगे।

76. इन विषयों के अतिरिक्त अन्य कई बिन्दु हैं, जिनका चुनाव घोषणा पत्र में विवरण है। राज्य सरकार आगामी समय में समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

77. माननीय सदस्यगण! इस सत्र में लोक ऋण अधिनियम, 1944 में संशोधन हेतु संकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

78. जैसा कि आप सब जानते ही हैं राजस्थान राज्य की स्थापना के 50 वर्ष दिनांक 30 मार्च, 1999 को पूरे होंगे। राज्य सरकार 30 मार्च, 1999 से 30 मार्च, 2000 तक की अवधि को राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का निश्चय किया है। इसमें आप सब का सहयोग एवं सहभागिता भी प्रार्थनीय है। स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान एवं कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

79. राजस्थान के विकास की अपनी जटिल समस्याएँ हैं। हम सभी प्रदेश का तेजी से विकास चाहते हैं। इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा। विकास कार्यक्रमों में नया दृष्टिकोण रखना होगा तथा प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता व कुशलता लानी होगी। वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबन्ध करके तथा उनके उचित उपयोग से ही प्रदेश के विकास को और अधिक गतिशील बनाया जा सकता है। इसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है।

80. मैं यजुर्वेद के इन शब्दों में सहकार भावना संवर्धित करने का अनुरोध करना चाहूँगा :

''मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।''

अर्थात् देश के समस्त निवासी मुझे बन्धुत्व भावना से देखें, मैं सभी देशवासियों को बन्धुत्व भाव से देखूँ। हम सब एक दूसरे के प्रति बन्धुत्वभाव रखें।

81. इस प्रकार की सद्भावनाओं के संबल से ही यह देश सदा प्रगति करता रहा है। सद्भाव की इसी संस्कृति के अनुरूप समस्त माननीय सदस्यों को अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ।

82. आइये, हम सब मिल कर राजस्थान को एक विकासशील राज्य से उन्नत राजस्थान बनाने हेतु संकल्प लें।

जय हिन्द।